न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज.

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्रसिंह चांदावत आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 93ए/2016

प्रार्थी – सुगनी देवी पत्नि मदनलाल जाति बावरी निवासी मिण्डकिया हाल निवासी रिड़ तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थी – 1. छीतरदास पुत्र मोहनदास
2. कालूदास पुत्र सांवरदास
3. परसराम पुत्र सांवरदास फौत के कायम मुकाम
3/1.प्रेमलता पत्नि परसराम
3/2.भरत पुत्र परसराम
3/3.गोविन्द पुत्र परसराम
3/4.मनीष पुत्र परसराम
3/5.मुकेश पुत्र परसराम जाति साद निवासी रिड़ तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री जगराज चौहान
अधिवक्ता अप्रार्थी– श्री रामनिवास दिवाकर

दिनांक 26/12/2016

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी का खेत राजस्व ग्राम रिड़ में खसरा नंबर 395 रकबा 2.78 हैक्टेयर, खसरा नंबर 396 रकबा 2.87 हैक्टेर आई हुई है जिसमें प्रार्थीया की रहवासी ढाणी बनी हुई है। खसरा नंबर 397 रकबा 6.55 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है जिसमें पश्चिमी दिशा में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का है तथा पूर्वी 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का है। उपरोक्त जमीन मौके पर बंटी हुई है तथा बीच में मांठ लगी हुई है। प्रार्थीया उक्त जमीन के बीच में से मांठ के सहारे–सहारे रास्ता प्राप्त करना चाहती है। प्रार्थीया के खेत व ढाणीं में आने जाने हेतु नजदीक व उपयुक्त रास्ता यही है। इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई

रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने का उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया एवं प्रकरण में संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर खसरा नंबर 397 के दो बंट है पश्चिमी तरफ 1/2 हिस्सा छीतरदास का है और पूर्व तरफ का 1/2 हिस्सा कालूदास, मुकेश वगैराह का है। आवेदक वर्तमान में इन दोनो हिस्सों के बीच में से आता जाता है। एक बार प्रशासन द्वारा पुलिस इमदाद से जेसीबी मशीन से रास्ता खुलवाया भी था। राजस्व रेकर्ड में बंटवारा नहीं हुआ रखा है। इस रास्ते के अलावा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है लेकिन सड़क से दूरी के हिसाब से खसरा नंबर 396 में जाने के लिए खसरा नंबर 397 के पूर्वी सींव विकल्प है। जो सबसे नजदीक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नंबर 395, 396 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर एक गांव का पुराना नाडा बना हुआ है जिसमें गांव के सभी जानवर पानी पीते है और अप्रार्थी खसरा नंबर 397 के पश्चिमी दिशा में रास्ता देने हेतु तैयार है जो कि आगे जाकर खसरा नंबर 395, 396 में से होते हुए आगे जाकर गांवाई नाडे में मिल जायेगा। अप्रार्थी खसरा नंबर 397 में पश्चिमी दिशा में रास्ता देने हेतु तैयार है और पूर्व दिशा में प्रस्तावित रास्ते की जो लम्बाई व नाप बताया है। उसी हिसाब से पैसे लेने हेतु तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का स्वयं द्वारा पुनः मौका निरीक्षण किया गया जिससे अप्रार्थी के तथ्यों की पुष्टि होती है। खसरा नंबर 397 का मौके पर बंटवारा किया हुआ नहीं है। मौके पर खसरा नंबर 397 के बीच में से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी को अगर खसरा नंबर 397 के बीच में से अथवा पूर्वी दिशा में से रास्ता दिया जाता है तो वो केवल अकेले प्रार्थी के उपयोग में आयेगा जबकि पश्चिमी दिशा में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदारों के भी काम में आयेगा एवं नाडे तक आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। अप्रार्थी खसरा नंबर 397 के पूर्व दिशा में रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले में ही पश्चिमी दिशा में रास्ता देने को तैयार है तथा रास्ते में जाने वाली अधिक भूमि का प्रतिफल प्राप्त नहीं करने पर सहमत हैं। इसके अलावा रास्ता घोषित करते हुए यह भी देखने योग्य बिन्दू होता है कि इससे खातेदार की कम से कम भूमि खराब हो तथा उक्त रास्ते से अधिक से अधिक खातेदारों को सुविधा उपलब्ध हो। अगर खसरा नंबर 397 के बीच में से रास्ता दिया जाता है तो उक्त खसरा 2 भागों में बंट जायेगा तथा अप्रार्थीगण को भारी

असुविधा भी होगी। इसके अलावा अप्रार्थीगण प्रार्थी को पश्चिमी दिशा में रास्ता देने पर भी सहमत है। भू अभिलेख निरीक्षक ने खसरा नंबर 397 की पूर्वी सींव पर 174 मीटर लम्बा व 15 फुट चौड़े रास्ता का रकबा 0.0796 अंकित किया है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ...ड के खसरा नंबर 397 की पश्चिमी सींव पर 15 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को तहसीलदार परबतसर के माध्यम से 0.0796 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान डी.एल.सी.दर की दुगुनी राशि का भुगतान करें। तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है कि वो खसरा नंबर 397 की पूर्वी सींव पर 15 फुट चौड़ा रास्ता के हिसाब से रकबे की गणना करें तथा प्रार्थीया द्वारा 0.0796 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान डी.एल.सी.दर की दुगुनी राशि का भुगतान करने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में अंकन करें एवं भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से कम करें। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2016 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर